उत्तराखण्ड शासन

पशुपालन अनुभाग–1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

23 नवम्बर, 2011 ई0

संख्या 1277/XV-1/2(34)/09–श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 06 वर्ष 2007) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण नियमावली, 2011

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण नियमावली, 2011 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी।

(3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएं–

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है;

(ख) "गो वंश" से गाय, बैल, सांड, बछिया अथवा बछड़ा अभिप्रेत है;

(ग) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से इस नियमावली की अनुसूची में दिया गया प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "स्थानीय प्राधिकारी" के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका परिषद् एवं नगर निगम सम्मिलित है।

3. पशु की रोगग्रस्तता की सूचना देना–

कोई व्यक्ति, जिसका गो वंश, किसी सांस्पर्शिक/संसर्गिक रोग से पीड़ित हो अथवा उसके पीड़ित होने का विश्वास हो या असाध्य रोग एवं पीड़ाजनक परिस्थिति में हो, जिसके संक्रमण से गो वंश के साथ-साथ मानव के लिये खतरा उत्पन्न हो गया हो, वह निकटतम पशु चिकित्साधिकारी को इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि गो वंश वास्तव में ऐसे रोग से पीड़ित है अथवा नहीं हेतु प्ररूप "1" में एक प्रार्थना-पत्र देगा।

4. रोगग्रस्त पशु की जाँच–

पशु चिकित्साधिकारी पूर्व से निश्चत और प्रार्थी को सूचित किये गये दिनांक को तथा स्थान पर गो वंश की जाँच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाये कि गो वंश राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित किसी सांस्पर्शिक/संसर्गिक रोग या असाध्य रोग एवं पीड़ाजनक परिस्थिति से पीड़ित है तो वह उसको दया मृत्यु दिये जाने के लिये प्ररूप "2" में एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा। पशु चिकित्साधिकारी प्रत्येक दशा में अपना निष्कर्ष भी प्रार्थना-पत्र पर अभिलिखित करेगा।

5. रोगग्रस्त गो वंश की क्लीनिकल जाँच–

पशु चिकित्साधिकारी सम्बन्धित गो वंश के सरकार द्वारा विज्ञापित सांस्पर्शिक/संसर्गिक रोग या असाध्य रोग अथवा असाध्य एवं पीड़ाजनक परिस्थिति से पीड़ित होने के सम्बन्ध में संगत क्लीनिकल एवं पैथोलोजिकल परीक्षण करेगा और इन परीक्षणों का सरकार द्वारा विहित शुल्क गो वंश के स्वामी से वहन करने की अपेक्षा करेगा।

6. दया मृत्यु दिये जाने की रीति–

प्ररूप "2" में प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे गो वंश का स्वामी उसकी दया मृत्यु या तो अपनी भूमि पर अथवा उक्त प्रयोजन के लिये संरक्षित स्थान पर यथा संभव पीड़ा रहित मृत्यु विधि द्वारा कारित करा सकेगा।

7. दया मृत्यु की सूचना देना–

(1) जब किसी गो वंश का इस प्रकार वध किया जाये तो वह व्यक्ति, जो ऐसे गो वंश का वध करे अथवा करवाये, वध किये जाने के चौबीस घंटे के भीतर उस अधिकारी को, जिसने प्ररूप "2" में प्रमाण-पत्र दिया है, उस वध की सूचना प्ररूप "3" में देगा।

(2) ऐसे गो वंश का शव या तो गो वंश के स्वामी की भूमि में अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिये संरक्षित स्थान पर गहरा गड़वाया जायेगा।

8. गो वंश का राज्य से बाहर परिवहन की प्रक्रिया–

(1) गो वंश के राज्य से बाहर परिवहन हेतु प्रत्येक जनपद का जिलाधिकारी सक्षम अधिकारी होगा।

(2) जिला अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राज्य से बाहर गो वंश का परिवहन उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा 6 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप गो वंश के संरक्षण अथवा संवर्धन अथवा पालन के प्रयोजन के लिये ही किया जा रहा है तथा किसी भी दशा में गो वंश के परिवहन के फलस्वरूप गो-हत्या अथवा गो-तस्करी की आशंका नहीं है।

9. परिवहन हेतु अभ्यावेदन एवं जाँच–

गो वंश के राज्य से बाहर परिवहन के पूर्व अनिवार्यरूप से आवेदक द्वारा गो वंश का परिवहन किये जाने का प्रयोजन घोषित किया जायेगा। इन प्रयोजनों हेतु निम्नलिखित स्थितियों में ही राज्य से बाहर परिवहन की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी:–

(1) गो वंश के संरक्षण हेतु परिवहन घोषित किये जाने पर आवेदन द्वारा गो वंश के कल्याण के लिये समर्पित संस्था के रूप में मान्यता प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति, संस्था का संक्षिप्त परिचय एवं गो वंश के कल्याण के क्षेत्र में उपलब्धियों के अभिलेखों की सत्यापित छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जायेगी;

(2) गो वंश के संवर्धन हेतु परिवहन घोषित किये जाने पर आवेदक द्वारा स्पष्ट किया जायेगा कि किस संवर्धन योजना के अन्तर्गत उसके द्वारा राज्य से बाहर गो वंश के परिवहन का प्रस्ताव किया जा रहा है, उसका नाम, योजना की वित्त पोषक संस्था का नाम, जिस राज्य में गो वंश का परिवहन प्रस्तावित है, उस राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा योजना की समुचित जानकारी के क्रम में अभिलेखों की सत्यापित छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जायेगी;

(3) गो वंश का पालन हेतु परिवहन घोषित किये जाने पर आवेदक द्वारा:–

(क) स्वयं की पहचान प्रस्तुत की जायेगी (फोटो पहचान-पत्र अथवा निवास प्रमाण-पत्र);

(ख) आवेदक द्वारा यह सिद्ध किया जायेगा कि उसके द्वारा गो वंश के परिवहन का प्रस्ताव दुग्ध उत्पादन अथवा संतति उत्पादन अथवा कृषि कार्यों अथवा अन्य कर्षण कार्यों हेतु ही किया जा रहा है। किसी भी दशा में गो वंश के वध अथवा तस्करी हेतु उपयोग में लाये जाने की आशंका नहीं है। इस क्रम में आवेदक द्वारा राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित किसान बही अथवा अन्य अभिलेखों की छाया प्रति प्रस्तुत की जायेगी;

(ग) आवेदक द्वारा यह सिद्ध किया जायेगा कि वह पूर्व में कभी भी गो वंश की हत्या अथवा तस्करी के प्रकरणों में सम्मिलित नहीं रहा है। इस क्रम में उसके द्वारा अपने गृह क्षेत्र के पुलिस थाने की चरित्र सत्यापन अभिलेख प्रस्तुत किया जायेगा;

(घ) गो पालन के प्रयोजन हेतु राज्य से बाहर गो वंश के परिवहन के प्रकरणों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों (पहचान प्रमाण-पत्र/किसान बही/गो वंश के प्रति अपराध में संलिप्त न होने के प्रमाण के क्रम में प्रस्तावित अभिलेख) का सत्यापन/जाँच प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी तथा जाँचोपरान्त निर्धारित प्ररूप-पत्र (प्ररूप '4') पर जाँच आख्या प्रस्तुत की जायेगी;

(ङ) पशु बेचना में प्रतिपर्ण रवन्ना (Counter Foil) की सत्यापित छायाप्रति निर्धारित प्ररूप (प्ररूप "5" तथा "6") पर प्रस्तुत की जायेगी;

(च) गो पालन के प्रयोजन हेतु परिवहन के लिये आवेदक द्वारा निम्नलिखित शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा:–

(एक) प्रस्तावित गो वंश का परिवहन गो हत्या अथवा गो तस्करी के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है। किसी भी दशा में इस गो वंश को गो हत्या अथवा गो तस्करी हेतु नहीं उपयोग किया जायेगा;

(दो) आवेदक पूर्व में कभी भी गो वंश की हत्या/तस्करी के प्रकरणों में सम्मिलित नहीं रहा है, न ही उसे कभी भी गो वंश की हत्या/तस्करी हेतु अभियोजित किया गया है और न ही कभी वह इन अपराधों में सहयोगी रहा है;

(तीन) जिस गो वंश को उसके द्वारा राज्य से बाहर परिवहन का प्रस्ताव किया जा रहा है, वह उसकी भली प्रकार देख-रेख करेगा। गो वंश के बीमार पड़ने पर राजकीय पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्साधिकारी से चिकित्सा व मृत्यु पर शव परीक्षण करायेगा;

(चार) जिस गो वंश को उसके द्वारा राज्य से बाहर गो वंश के परिवहन का प्रस्ताव किया जा रहा है, वह उसे अपरिचित व्यक्ति को नही बेचेगा। गो वंश को परिचित तथा गो वंश की भलीं प्रकार देख-रेख में सक्षम व्यक्ति को ही बेचेगा। विक्रय किये जाने पर बेचने की रसीद तथा विक्रय के अभिलेख सुरक्षित संरक्षित करेगा;

(पाँच) वह कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को गो वंश नहीं बेचेगा, जो कि पूर्व में कभी भी गो वंश की तस्करी के प्रकरणों में सम्मिलित रहा हो अथवा अभियोजित किया गया हो अथवा सहयोगी रहा हो;

(छः) सम्बन्धित द्वारा गो वंश के 05 किलोमीटर से अधिक परिवहन की दशा में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन पशु क्रूरता निवारण (पैदल पशु परिवहन नियम, 2000) तथा वाहन से परिवहन किये जाने की दशा में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन पशु परिवहन नियम, 1978 एवं पशु परिवहन (संशोधन) नियम, 2009 के समस्त प्राविधानों का पालन किया जायेगा;

(सात) सम्बन्धित द्वारा उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक गो वंश के राज्य से बाहर परिवहन हेतु ₹ 500.00 प्रति गो वंश की दर से शुल्क राजकीय कोष में जमा कराया जायेगा। तदुपरान्त अनुज्ञा-पत्र प्राप्त होने पर ही गो वंश का परिवहन किया जायेगा।

10. परिवहन की अनुज्ञा का प्रतिषेध–

किसी भी दशा में ऐसे व्यक्ति को परिवहन की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी, जिसे स्वयं अथवा जिसके सम्बन्धियों/रिश्तेदारों को पूर्व में कभी भी गो वध अथवा गो वंश के संरक्षण से सम्बन्धित किसी भी अधिनियम के अधीन किसी भी आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित होने/सहयोग करने हेतु आरोपित किया गया हो।

11. अभिलेखों का रख-रखाव–

राज्य से बाहर गो वंश के परिवहन की अनुज्ञा के क्रम में समस्त प्रकरणों के अभिलेखों का रख-रखाव मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।

12. पशु का स्वास्थ्य परीक्षण–

प्रत्येक पशु स्वामी द्वारा, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 के अध्यधीन बनाये गये पशु परिवहन नियम, 1978 अथवा पैदल पशु परिवहन नियम, 2001 के अनुसार पशु क्रय से पूर्व प्रत्येक पशु का अनिवार्यरूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्थानीय पशु चिकित्साधिकारी से पैदल परिवहन हेतु उपर्युक्त प्रमाण-पत्र (Fit to move on foot certificate) अथवा वाहन से परिवहन हेतु उपर्युक्त प्रमाण-पत्र (Fit to move on vehicle certificate) प्राप्त कर लिया जाय। इन प्रमाण-पत्रों के प्ररूप वही होंगे, जो कि केन्द्रीय अधिनियम के उक्त नियमों में उपबन्धित किये गये हैं।

13. प्ररूप का प्रस्तुतीकरण–

प्रत्येक प्रकरण में आवेदक द्वारा, निर्धारित "आवेदन प्रपत्र" (प्ररूप "7") के माध्यम से ही आवेदन किया जायेगा तथा समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत किये जायेंगे। अनुज्ञा दिये जाने हेतु जिला अधिकारी को प्रकरण प्रस्तुत किये जाने से पूर्व मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा "संस्तुति हेतु निर्धारित प्ररूप-पत्र" (प्ररूप "8") पर आख्या दी जायेगी। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राज्य से बाहर गो वंश का परिवहन उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा 6 में उपबन्धित प्राविधानों के अनुरूप गो वंश के संरक्षण अथवा संवर्धन अथवा पालन के प्रयोजन के लिये ही किया जा रहा है तथा किसी भी दशा में गो वंश के परिवहन उपरान्त गो हत्या अथवा गो तस्करी की आशंका नहीं है।

14. जाँच चौकियों द्वारा जाँच–

(1) पुलिस विभाग, व्यापार कर विभाग, जिला पंचायत अथवा अन्य सरकारी विभागों की जाँच/निगरानी चौकियों द्वारा राज्य से बाहर गो वंश के परिवहन की अनुमति तब ही दी जाय जबकि आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा 6 प्राविधानों के अनुरूप ₹ 500.00 प्रति गो वंश की दर से शुल्क जमा कराने के उपरान्त, जिलाधिकारी से "अनुज्ञा-पत्र" (प्ररूप "9") प्राप्त कर लिया गया हो।

(2) प्रत्येक जाँच/निगरानी चौकी द्वारा विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वाहन द्वारा गोवंश का परिवहन पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 के अन्तर्गत बनाये गये पशु परिवहन नियम, 1978 एवं पशु परिवहन नियम (संशोधन), 2009 के प्राविधानों के अनुसार किया जा रहा है।

15. पशुओं के पैदल परिवहन की सीमा–

प्रत्येक जाँच/निगरानी चौकी द्वारा गो वंश के पैदल परिवहन की दशा में विशेष रूप से ध्यान दिया जाय कि गो वंश का पैदल परिवहन पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 के अधीन बनाये गये पशु क्रूरता निवारण (पैदल पशु परिवहन नियम, 2000) के प्राविधानों के अनुरूप है।

16. गो वंश की तस्करी पर दायित्व–

जाँच/निगरानी चौकी द्वारा गो वंश की राज्य से बाहर तस्करी के प्रकरणों पर लापरवाही अथवा मिलीभगत होने पर जाँच/निगरानी चौकी के कार्मिकों को भी उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा 11(2) के अधीन दण्डित किया जायेगा।

17. गो वंश का जब्तीकरण–

विधिमान्य अनुज्ञा-पत्र के बिना राज्य से बाहर परिवहन किये जा रहे गो वंश को जब्त कर लिया जायेगा और उन्हें गो सदनों में रखा जायेगा और ऐसा व्यक्ति, जो अनाधिकृत परिवहन कराता है, अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन दण्डित किया जायेगा।

18. गो वंश पालन हेतु गो वंश का पंजीकरण–

शहरी क्षेत्र में गो वंश के पालनं के लिये स्वामी को अपने नगर के मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी से अपने गो वंश के पंजीकरण हेतु निर्धारित (प्ररूप "10") पर आवेदन करना होगा।

19. आवेदन-पत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना–

मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी प्राप्त आवेदन-पत्र यथाशीघ्र आवेदनकर्ता के क्षेत्र से सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी को अग्रसारित करेगा और आवेदनकर्ता से यह अपेक्षा करेगा कि वह अपने क्षेत्र के पशु चिकित्साधिकारी से गो वंश का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (प्ररूप "11"), तीन प्रतियों में एवं आवेदन-पत्र मूलरूप में उपलब्ध करायें।

20. पहचान एवं चिन्हीकरण–

प्रत्येक गो वंश की व्यक्तिगत पहचान चिन्ह का अभिलेखीकरण सुनिश्चित किये जाने एवं गो वंश के स्वास्थ्य की स्थिति प्रमाणित कर लिये जाने हेतु सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी द्वारा आवेदक के गो वंश के कान में इयर टैग अथवा अन्य बेहतर तकनीक का प्रयोग कर चिन्हीकरण किया जायेगा। स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र में इयर टैग नम्बर को अभिलिखित किया जायेगा। पशुपालन विभाग द्वारा सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारियों को इस प्रयोजन हेतु इयर टैग उपलब्ध कराया जायेगा।

21. शुल्क–

स्वामी द्वारा सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी को अपने प्रत्येक गो वंश के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

22. पंजीकरण–

(1) मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पशुपालक को उसके प्रत्येक पशु से सम्बन्धित पंजीकरण प्रमाण-पत्र (प्ररूप "12"), जिसमें इयर टैग नम्बर को पशु पंजीकरण संख्या के रूप में अंकित किया गया हो, जारी करेंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा।

(2) मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक स्वामी एवं उसके पंजीकृत गो वंश का पूर्ण विवरण, गो वंश पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

23. इयर टैग खोने की स्थिति में पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया–

यदि पंजीकृत गो वंश के कान का इयर टैग खो जाता है तो स्वामी द्वारा इसकी सूचना लिखित रूप में तुरन्त मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी को दी जायेगी और ऐसे गो वंश के पुनः पंजीकरण की कार्यवाही नियम, 20 एवं 21 के अध्यधीन की जायेगी।

24. दण्ड–

यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन दंडित किया जा सकेगा।

25. गायों की देख-रेख हेतु संस्थाओं की स्थापना–

(1) अलामकर गो वंश की देख-रेख के लिये संस्था स्थापित करने हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत ऐसी गैर सरकारी संस्थाओं के आवदेन-पत्र स्वीकार्य होंगे जो कि–

(क) गो वंश तथा अन्य पशुओं के कल्याण हेतु पंजीकृत संस्था हो;

(ख) बिना लाभ अर्जन हेतु गो वंश के कल्याण हेतु पंजीकृत धर्मार्थ संस्था हो; अथवा

(ग) विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास हो;

परन्तु यह कि गो सेवा/गो वंश कल्याण कार्यों में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव तथा योग्यता क्षमता वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

(2) ऐसी संस्थाओं, जिनके पास स्वयं की भूमि उपलब्ध हो, उपलब्ध भूमि विवादग्रस्त न हो तथा भूमि संस्था के कब्जे में हो, को प्राथमिकता दी जायेगी। संस्था द्वारा प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित न किये जाने और भूमि के पट्टे पर लेने की दशा में भूमि आगामी 30 वर्षों तक पट्टे पर उपलब्ध होने के लिखित अभिलेखों की सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

(3) संस्था को निर्धारित आवेदन-पत्र के माध्यम से आवेदन सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के माध्यम से करना होगा (प्ररूप "13")

परन्तु यह कि यदि संस्था में भूमि स्वामित्व निहित न हो किन्तु संस्था आगामी 30 वर्षों तक भूमि उपलब्धता की सुनिश्चितता लिखित अभिलेखों (भूमि/भवन किराये/दान पर उपलब्ध कराये जाने का नोटरी से सत्यापित अनुबन्ध-पत्र) के आधार पर संस्था को तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अस्थायी निर्माण (टिन शेड्स) हेतु अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।

26. अनुदान–

गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से अलामकारी गो वंश हेतु संस्थाओं की स्थापना हेतु राजकीय सहायता अनुदान स्वीकृत किये जाने के लिये संस्थाओं द्वारा शरणागत गो वंश की संख्या के आधार पर ही उन्हें राजकीय सहायता अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। समस्त प्रकरण निम्नलिखित छः वर्गों में बाँट लिए जावेंगे:–

(क) मैदानी क्षेत्र में 50 गो वंश को शरण देने की क्षमता वाली संस्था;
(ख) मैदानी क्षेत्र में 100 गो वंश को शरण देने की क्षमता वाली संस्था;
(ग) मैदानी क्षेत्र में 200 गो वंश को शरण देने की क्षमता वाली संस्था;
(घ) पर्वतीय क्षेत्र में 50 गो वंश को शरण देने की क्षमता वाली संस्था;
(ङ) पर्वतीय क्षेत्र में 100 गो वंश को शरण देने की क्षमता वाली संस्था;
(च) पर्वतीय क्षेत्र में 200 गो वंश को शरण देने की क्षमता वाली संस्था;

परन्तु यह कि यदि संस्था द्वारा वर्तमान में 50 गो वंश को शरण दी गयी है तो प्रथम चरण में उस संस्था को कुल 50 गो वंश की क्षमता वाली संस्था की स्थापना हेतु ही राजकीय सहायता अनुदान की स्वीकृति की जा सकेगी। इसी प्रकार 50 से अधिक किन्तु 100 से कम गो वंश को शरण देने वाली संस्थाओं को प्रथम चरण में 100 गो वंश की क्षमता वाली संस्था की स्थापना हेतु ही राजकीय सहायता अनुदान स्वीकृत की जा सकेगी तथा 100 से अधिक किन्तु 200 से कम गो वंश को शरण देने वाली संस्थाओं को प्रथम चरण में 200 गो वंश की क्षमता वाली संस्था की स्थापना हेतु ही राजकीय सहायता अनुदान स्वीकृत की जा सकेगी।

27. अनुदान का वर्गीकरण–

समस्त अनुदान नियम, 26 के अधीन छः वर्गों में ही स्वीकृत किये जायेंगे। सम्बन्धित संस्था को प्रारम्भ में, उल्लिखित स्थान पर प्रस्तावित निर्माण का साइट प्लान ले-आउट का आरम्भिक आगणन प्रस्तुत करना होगा। नीतिगत रूप से निर्माण किये जाने के लिये निर्णय हो जाने के उपरान्त आवेदक को साइट प्लान ले-आउट का ब्लू प्रिन्ट तथा मदवार वृहद् आगणन प्रस्तुत करना होगा। यह आगणन लोक निर्माण विभाग की राजकीय कार्यों हेतु अनुमन्य दरों पर तद्नुसार दरें प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत किये जायेंगे।

28. गो सदनों का संचालन–

सम्बन्धित संस्था द्वारा राजकीय सहायता से स्थापित/निर्मित भवन अथवा क्रय किये गये उपकरणों/सामग्री को किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा और यदि संस्था द्वारा गौ सदनों का संचालन उसकी क्षमता के अनुरूप नहीं किया जाता है तो निर्मित भवन/उपकरणों का उपयोग सरकार द्वारा किसी अन्य प्रयोजन हेतु किया जा सकेगा।

29. आवेदन-पत्रों की जाँच–

(1) समस्त आवेदन प्रकरणों की सक्षम अधिकारियों के माध्यम से जाँच करायी जायेगी। सम्यक् जाँचोपरान्त निम्नलिखित चयन समिति द्वारा राजकीय सहायता अनुदान हेतु संस्थाओं का चयन किया जायेगा:–

(क) मंत्री पशुपालन, उत्तराखण्ड सरकार –अध्यक्ष
(ख) उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग –सदस्य
(ग) सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन –सदस्य
(घ) विभागाध्यक्ष, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड –सदस्य
(ङ) सचिव, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग –सदस्य सचिव
(च) सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड –सदस्य।

(2) संस्थाओं के चयन के क्रम में चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा। समिति को किसी भी आवेदन-पत्र को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

30. आर्थिक सहायता हेतु अनुबन्ध–

राजकीय आर्थिक सहायता दिये जाने से पूर्व संस्था को न्यूनतम 5 वर्षों हेतु प्रभावी अनुबन्ध-पत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। अनुबन्ध की शर्तों का पालन न किये जाने की स्थिति में समस्त आर्थिक सहायता अनुदान राशि ब्याज सहित वापस राजकोष में जमा करानी होगी। अनुबन्ध-पत्र में निम्नलिखित शर्तें उल्लिखित किया जाना आवश्यक होगा:–

(एक) प्रस्तावित भूमि विवादग्रस्त नहीं है और नही उक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई राजपत्र में अधिसूचित किया गया है तथा भूमि संस्था के कब्जे में है। भूमि के पट्टे पर होने की दशा में आगामी 30 वर्षों तक की उपलब्धता तथा प्राप्त राजकीय सहायता अनुदान धनराशि से भूमि का क्रय नहीं किये जाने सम्बन्धी शर्त;

(दो) संस्था गो वंश के उचित रख-रखाव, आवास व्यवस्था, चारा-दाना, भूसा-पानी की व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होने की शर्तें;

(तीन) संस्था निर्धारित गो वंश संख्या तक गो वंश को रखने/स्वीकार करने हेतु बाध्यता की शर्त;

(चार) संस्था द्वारा बीमार गो वंश का उपचार, स्थानीय राजकीय पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्साधिकारी द्वारा सम्पन्न कराये जाने की बाध्यता की शर्त;

(पाँच) निर्माण/भवनों के प्रबन्धन के उत्तरदायित्व को संस्था द्वारा वहन किये जाने की शर्त;

(छः) संस्था द्वारा राजकीय सहायता अनुदान धनराशि से निर्मित भवनों का उपयोग सहमति-पत्र में उल्लिखित प्रयोजनों/अनुदान हेतु आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रयोजनों हेतु किये जाने की शर्त;

(सात) संस्था निर्माण हेतु दी गयी सहायता अनुदान धनराशि से निर्मित भवनों/निर्माण का विक्रय न करने तथा उसे किराये पर न देने की शर्त;

(आठ) संस्था द्वारा प्राप्त की गयी सहायता अनुदान धनराशि का लेखा-जोखा पृथक् से रखे जाने, पृथक् बैंक खाता खोले जाने, शासन के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग के अधिकारी, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के अधिकारी तथा चयन समिति के मा0 सदस्यगणों द्वारा उक्त लेखा-जोखा को सदैव निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराये जाने की शर्त ;

(नौ) संस्था द्वारा निर्माण कार्य सहायता अनुदान धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त दो वर्ष के अन्दर पूर्ण करा लिये जाने, स्वीकृत मदों में ही सहायता अनुदान धनराशि का सदुपयोग किये जाने, निर्माण कार्य पूरा होने के उपरान्त स्वीकृत साइट प्लान ले-आउट तथा स्वीकृत आगणन के अनुरूप निर्माण कार्य पूर्ण करा लिये जाने हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने की शर्त;

(दस) संस्था द्वारा निर्माण कार्यपूर्ण होने के उपरान्त निर्माण कार्यों पर हुए व्यय अभिलेख प्राधिकृत लेखा सम्परीक्षक द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जाने की शर्त;

(ग्यारह) संस्था द्वारा निर्माण कार्यों तथा संस्था के अन्य कार्यों की प्रगति के बावत नियमितरूप से मासिक प्रगति सूचना सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने की शर्त;

(बारह) संस्था द्वारा संस्था के लेखों का सम्परीक्षा (Audit) कराये जाने की शर्त;

(तेरह) वित्तीय वर्ष समाप्ति पर संस्था के लेखे-जोखे का पूर्ण विवरण सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने की शर्त;

(चौदह) अनुबन्ध की शर्तें पालन न करने की स्थिति में संस्था द्वारा समस्त राजकीय सहायता अनुदान धनराशि ब्याज सहित वापस राजकीय कोष में जमा करने की शर्त;

(पन्द्रह) संस्था द्वारा बिना पूर्वानुमति के स्वीकृत योजना में आमूल-चूल परिवर्तन न करने की शर्त;

(सोलह) समय-समय पर पशुपालन विभाग के अधिकारियों, महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं अन्य राजकीय प्राधिकारियों द्वारा संस्था का निरीक्षण किये जाने तथा इस हेतु सहयोग दिये जाने की शर्त;

(सत्रह) किसी भी विवाद की दशा में विभागाध्यक्ष, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम होने की शर्त; तथा

(अठारह) किसी भी विवाद की निपटारा उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत आने वाले न्यायालय में ही किया जा सकने की शर्त।

31. अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण–

निर्माण कार्य पूर्ण होने की दशा में आवेदक संस्था को निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे:–

(क) स्वीकृत साइट प्लान ले-आउट तथा स्वीकृत आगणन के अनुरूप निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र;

(ख) निर्माण कार्यों पर हुए व्यय अभिलेखों का प्राधिकृत लेखा सम्परीक्षक द्वारा सम्परीक्षा प्रमाण-पत्र।

32. अलाभकारी पशुओं का भरण-पोषण–

अलाभकारी गो वंश को संस्थाओं में रखे जाने पर, उसके परिवहन, भरण-पोषण और चिकित्सा व्यय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विहित की जाने वाली दरों पर गो वंश के स्वामी द्वारा सम्बन्धित संस्था को भुगतान करना होगा।

अनुसूची

प्ररूप "1"

रोगों के प्रमाण-पत्र के लिये प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

पशु चिकित्साधिकारी,

.....

महोदय,

प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरे पशु ..... का (यहाँ पर पशुओं, रंग तथा आयु का वर्णन) जिसके विषय में यह सन्देह है कि वह विज्ञिप्त सांस्पर्शिक/सांसर्गिक रोग से पीड़ित है अथवा असाध्य रोग व पीड़ाजनक परिस्थिति में है, परीक्षण कीजिये और मुझे अपेक्षानुसार उक्त ..... को दया मृत्यु देने के लिये एक प्रमाण-पत्र जारी कर दीजिये।

भवदीय,

नाम.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पता.....

(पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायेगा)

पशु का परीक्षण करने के लिये निश्चित दिनांक और स्थान.....प्रार्थी को..... द्वारा दिनांक.....को सूचित किया गया।

दिनांक जब और स्थान, जहां पर पशु का परीक्षण किया गया था.....

निष्कर्ष

पशु ..... रोग से पीड़ित है/पीड़ित नहीं है। निम्नलिखित कारणों से मैंने यह निष्कर्ष निकाला है।

_____

_____

_____

दिनांक.....

पशु चिकित्साधिकारी,

जिला.....

प्ररूप "2"

मैं, ... जो ..... का पशु चिकित्साधिकारी हूँ, ने ..... की जाँच कर ली है और मैं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि ..... विज्ञिप्त सांस्पर्शिक/सांसर्गिक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है और उसको दया मृत्यु दी जा सकती है।

दिनांक .....

पशु चिकित्साधिकारी।

प्ररूप "3"

दया मृत्यु की सूचना

सेवा में,

पशु चिकित्साधिकारी,

.....

.....

महोदय,

यह सूचना दी जाती है कि ..... का वध.....

दिनांक ..... को समय ..... (स्थान का नाम) के भू-गृहादि में पशु

चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र संख्या ..... दिनांक .....

के आधार पर किया गया है।

दिनांक .....

.....

पशु स्वामी के हस्ताक्षर

पता .....

(प्ररूप "4")

गो पालन के प्रयोजनार्थ, राज्य से बाहर गो वंश के परिवहन में प्रकरण की सत्यता की जाँच का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि,

आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 के प्राविधानों के अनुरूप प्रस्तावित पशुओं के परिवहन की अनुज्ञा दिये जाने हेतु समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत कर दिये गये हैं/नहीं किये गये हैं।

आवेदक की पहचान के क्रम में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच करा ली गयी है तद्नुसार श्री ..... पुत्र श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील..... जनपद ..... की पहचान सत्यापित की जाती है।

गो पालन के प्रयोजनार्थ, राज्य से बाहर गो वंश के परिवहन के प्रयोजन की सत्यता जाँच हेतु अभिलेखों (किसान बही अथवा अन्य अभिलेखों) की जाँच करा ली गयी है। सत्यापन उपरान्त पुष्टि हो गयी है कि, गो वंश के परिवहन का प्रस्ताव दुग्ध उत्पादन अथवा संतति उत्पादन अथवा कृषि कार्यों अथवा अन्य कर्षण कार्यों हेतु ही किया जा रहा है।

आवेदक के गृह क्षेत्र के पुलिस थाने द्वारा निर्गत उस अभिलेख की जाँच करा ली गयी है कि, वह पूर्व में कभी भी गो वंश की हत्या अथवा तस्करी के प्रकरणों में सम्मिलित नहीं रहा है।

तद्नुसार आवेदक द्वारा गो वंश को गो हत्या अथवा गो तस्करी हेतु उपयोग न किये जाने के क्रम में शपथ-पत्र ले लिया गया है। इस प्रकरण में गो वंश के वध अथवा तस्करी हेतु उपयोग में लाये जाने की आशंका नहीं प्रतीत होती है।

गो वंश राज्य से बाहर परिवहन की दशा में उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 के अधीन अनुज्ञा दिये जाने की संस्तुति की जाती है/नहीं की जाती है।

(हस्ताक्षर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट)

नाम .....

मुहर .....

(प्ररूप "5")

मान्यता प्राप्त पशु मेले से गो वंश क्रय किये जाने पर पशु बेचनामें प्रतिपर्ण (रवन्ना–Counter Foil) का प्ररूप–

पशु मेला आयोजक संस्था का नाम .....

पशु मेले का नाम ..... आयोजन स्थान .....

पशु मेला आयोजन की तिथि/अवधि ..... प्रतिपर्ण संख्या .....

पशु स्वामी (विक्रेता) के बारे में सूचना	पशु खरीददार की सूचना	पशु का हूलिया	वयस्क मादा पशु के साथ शिशु की सूचना	सम्बन्धित विभागों द्वारा अभिलेखीकरण
नाम	नाम	जाति	जाति	पशुपालन विभाग के अस्थायी
पंजीकरण	पंजीकरण	पंजीकरण	पंजीकरण	शिविर का प्रमाण-पत्र क्रमांक
संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	
पिता का नाम.....	पिता का नाम.....	नस्ल	नस्ल	वन विभाग के अस्थायी शिविर
ग्राम	ग्राम	लिंग	लिंग	की वन चुगान पंजीकरण
डाकघर	डाकघर	ब्यात	आयु	संख्या .....
वि0ख0	वि0ख0	आयु	रंग	
तहसील	तहसील	रंग	सींग	राजस्व विभाग के अस्थायी
जिला	जिला	सींग	पूंछ	शिविर द्वारा खरीददार का
प्रदेश	प्रदेश	पूंछ	अन्य पहचान चिन्ह	पहचान-पत्र, किसान बही, क्रय
विक्रेता के उंगली के निशान अथवा हस्ताक्षर	खरीददार की उंगली के निशान अथवा हस्ताक्षर	अन्य पहचान चिन्ह		का प्रयोजन पर जांच अधिकारी द्वारा जांच पंजीकरण संख्या .....
		गर्भावस्था स्थिति		पशु का मूल्य.....

आयोजक विभाग के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

मुहर .....

(प्ररूप "6")

पशु स्वामी के द्वार से गो वंश क्रय किये जाने पर पशु बेचनामें प्रतिपर्ण (रवन्ना – Counter Foil) का प्ररूप

पशु स्वामी (विक्रेता) के बारे में सूचना	पशु खरीददार की सूचना	पशु का हुलिया	व्यस्क मादा पशु के साथ शिशु की सूचना	सम्बन्धित विभागों द्वारा अभिलेखीकरण
नाम.....	नाम.....	जाति.....	जाति.....	गवाह सं0 1 :
पंजीकरण संख्या.....	पंजीकरण संख्या.....	पंजीकरण संख्या.....	पंजीकरण संख्या.....	हस्ताक्षर : नाम :
पिता का नाम.....	पिता का नाम.....	नस्ल.....	नस्ल.....	पुत्र श्री :
ग्राम.....	ग्राम.....	लिंग.....	लिंग.....	पता :
डाकघर.....	डाकघर.....	ब्यात.....	आयु.....	
वि0ख0.....	वि0ख0.....	आयु.....	रंग.....	गवाह सं0 2 :
तहसील.....	तहसील.....	रंग.....	सींग.....	हस्ताक्षर :
जिला.....	जिला.....	सींग.....	पूंछ.....	नाम :
प्रदेश.....	प्रदेश.....	पूंछ.....	अन्य पहचान चिन्ह	पुत्र श्री :
विक्रेता के उंगली के निशान अथवा हस्ताक्षर	खरीददार की उंगली के निशान अथवा हस्ताक्षर	अन्य पहचान चिन्ह		पता : पशु का मूल्य..
		गर्भावस्था स्थिति		

(प्ररूप "7")

उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा 13 (2ख) के अधीन राज्य से बाहर गो वंश के परिवहन के लिये अनुमति-पत्र के लिये आवेदन-पत्र

सेवा में,

जिला अधिकारी–जनपद .....
(अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी)

महोदय,

मैं, ...पुत्र श्री.....निवासी ग्राम.....डाकघर.....थाना ..... तहसील ..... जिला ..... (फोटो पहचान-पत्र अथवा परिचय-पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न) स्थान ..... से .....तक (गन्तव्य का पता) गो वंशीय पशु जिसका रंग ..... आयु ..... ब्यात ..... (पूर्ण विवरण तथा स्वास्थ्य स्थिति के क्रम में पशु चिकित्साधिकारी द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन निर्गत परिवहन हेतु उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित हैं) के परिवहन के लिये अनुमति-पत्र प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ। ये पशु स्वामी श्री .... निवासी..... ग्राम ..... डाकघर ..... तहसील ..... जिला ..... वाले से क्रय किये गये हैं (बेचनामें की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है)।

पशु का परिवहन ..... के प्रयोजन के लिये किया जा रहा है। इस क्रम में–

प्रयोजन–"पशु संरक्षण" की स्थिति में पशु कल्याण संस्था के रूप में मान्यता प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति, संस्था के संक्षिप्त परिचय एवं गौ कल्याण के क्षेत्र में उपलब्धियों के अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

अथवा

प्रयोजन–"गो संवर्धन" की स्थिति में योजना का नाम.....वित्त पोषक संस्था का नाम..... संवर्धन योजना का राजकीय वित्त पोषण न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा योजना की समुचित जानकारी के क्रम में अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति प्रेषित है।

अथवा

प्रयोजन–"गोपालन" की स्थिति में किसान बही की राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित छायाप्रति तथा किसी भी दशा में अन्जान व्यक्ति को गो पशु को न बेचे जाने, बिक्री की दशा में गो पशु विक्रय के सभी अभिलेख सुरक्षित रखने, पूर्व में गो हत्या/तस्करी/पशु क्रूरता से सम्बन्धित अपराध प्रकरणों में अभियुक्त न होने, गो पशु की बीमारी की दशा में अपने क्षेत्र के राजकीय पशु चिकित्सालय से समुचित पशु चिकित्सा कराये जाने तथा मृत्यु की दशा में अपने क्षेत्र के राजकीय पशु चिकित्साधिकारी द्वारा पशु शव परीक्षण कराये जाने का शपथ-पत्र जो कि, दो गो वंश के संरक्षण हेतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा साक्षी के रूप में हस्ताक्षरित है, प्रेषित है।

भवदीय,

(.....)
आवेदक के हस्ताक्षर.....
नाम तथा पूर्ण पता.....

टिप्पणी–यदि अनुमति-पत्र मंजूर नहीं किया जाता, तो इसका कारण आवेदन पर अभिलिखित किया जाये।

(प्ररूप "8")

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा "संस्तुति" हेतु निर्धारित "प्ररूप-पत्र"

1. पशु परिवहन कर भेजने वाले का नाम एवं पता :

2. पशु प्राप्त करने वाले का नाम एवं पता :

3. वाहन स्वामी/परिवहन संस्था का नाम एवं पता वाहन संख्या :

4. क्या पशु चिकित्साधिकारी द्वारा पशु के परिवहन हेतु उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया गया है। स्पष्ट करें कि–

परिवहन हेतु प्रस्तावित पशु संक्रामक रोग से मुक्त है तथा परिवहन हेतु स्वस्थ है–

(क) परिवहन हेतु प्रस्तुत कोई भी पशु परिवहन हेतु अस्वस्थ नहीं है अर्थात् कोई भी पशु नवजात नहीं है अथवा बीमार नहीं है अथवा अंधा नहीं है अथवा कमजोर नहीं है अथवा अत्यधिक थका हुआ नहीं है तथा पिछले 72 घण्टे में किसी भी मादा पशु ने नवजात शिशु को जन्म नहीं दिया है तथा परिवहन के समय यात्रा मार्ग पर किसी भी मादा पशु द्वारा नवजात शिशु को जन्म देना अपेक्षित नहीं है:

(ख) गर्भित मादा पशुओं तथा शिशु पशुओं को यात्राकाल में अन्य पशुओं के साथ मिला कर नहीं रखा गया है:

(ग) अलग-अलग प्रजाति/आयुवर्ग/लिंग के अनुसार पशुओं को पृथक्-पृथक् रखकर ले जाने की व्यवस्था की गयी है:

(घ) बीमार पशुओं को अन्य पशुओं के साथ मिलाकर नहीं रखा गया है:

(ङ) उत्तेजित तथा समस्या पैदा करने वाले नियंत्रण हेतु कठिन पशुओं को वाहन पर चढ़ाने से पूर्व ट्रांक्विलाइजर इन्जेक्शन दे दिया गये हैं:

5. पशुओं के परिवहन का प्रयोजन:

6. आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न अन्य अभिलेखों की सूची–

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

(ङ)

(च)

(छ)

(ज)

(झ)

(ञ)

7. क्या पशुओं को यात्रा काल में भोजन, पेयजल, विश्राम तथा दुधारू पशुओं में दूध दुहने की व्यवस्था कर ली गयी है:
8. पशु परिवहन प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तावित समय, तिथि वाहन:
9. यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले विभिन्न स्थानों के नाम तथा उन स्थानों पर सम्भावित आगमन तथा प्रस्थान का समय एवं तिथि:

क्र0 सं0	तिथि	स्थान	पहुँचने का अपेक्षित समय	प्रस्थान का अपेक्षित समय
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

10. भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के निरीक्षण हेतु प्रस्तावित स्थान :

आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित समस्त प्रपत्र मेरी जानकारी अनुसार सत्य हैं। समस्त केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियमों, नियमों तथा शासनादेशों का अनुपालन किये जाने की शपथ ली जाती है।

आवेदक के हस्ताक्षर।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि–

गो वंश के परिवहन हेतु प्रस्तावित पशुओं को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन पशु चिकित्साधिकारी द्वारा "परिवहन उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र" निर्गत कर दिया गया है/नहीं किया गया है।

आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 के प्राविधानों के अनुरूप प्रस्तावित पशुओं के परिवहन की अनुज्ञा दिये जाने हेतु समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत कर दिये गये हैं/नहीं किये गये हैं तथा आवेदक की पहचान तथा गो वंश के राज्य से बाहर परिवहन के प्रयोजन की सत्यता हेतु अभिलेखों की जाँच राजस्व विभाग द्वारा करा ली गयी है।

गो वंश राज्य से बाहर की दशा में उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 के अधीन अनुज्ञा दिये जाने की संस्तुति की जाती है/नहीं की जाती है।

(मुख्य पशु चिकित्साधिकारी)

जनपद .....

(प्ररूप "9")

गो वंशीय पशु के परिवहन के लिये अनुज्ञा-पत्र

श्री.....पुत्र श्री..... निवासी.....

..... डाकखाना..... पुलिस थाना..... जनपद.....को एतद्द्वारा

.....प्रयोजन के लिये.....से..... तक

(गन्तव्य स्थान का पता) रेल/सड़क द्वारा.....गाय/सांड/बैल का (पशुओं का

संक्षिप्त विवरण) परिवहन करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

जिलाधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक एवं मुहर।

(प्ररूप "10")

गौ वंश के पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र

सेवा में,

मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका/नगर निगम,
जनपद.....।

महोदय,

मैं, ... पुत्र श्री ..... निवासी ..... डाकखाना ..... पुलिस थाना ..... जनपद ..... अपने निम्नलिखित गौ वंशीय पशुओं का पंजीकरण करने के लिये अनुरोध करता हूँ।

गौ वंशीय पशुओं का विवरण–

1.

2.

3.

4.

भवदीय,

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर।

(प्ररूप "11")

पशु चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले पशु स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र

पशु के स्वामी का नाम..... पशु स्वामी के पिता का नाम.....

पता..... मकान नं0..... डाकखाना..... पुलिस थाना.....

जनपद..... फोन नम्बर.....

पशु का विवर

क्र0 सं0	पशु	लिंग	टैग नं0	नस्ल	रंग एवं आयु	प्राकृतिक चिन्ह

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने उपरोक्त वर्णित पशुओं के स्वास्थ्य की जांच की एवं उन्हें पूर्णरूप से स्वस्थ पाया एवं उनके कान में उपरोक्तानुसार इयर टैग लगाये।

दिनांक.....

पशु चिकित्साधिकारी का नाम.....

पता.....

कार्यालयी मुहर

हस्ताक्षर।

(प्ररूप "12")

गौ वंश के पंजीकरण हेतु प्रमाण-पत्र

श्री ..... पुत्र श्री ..... निवासी ..... डाकखाना ..... पुलिस थाना ..... जनपद ..... के गौ वंशीय पशुओं को पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय चिकित्सालय ..... द्वारा जारी किये गये पशु स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संख्या ..... के अनुसार निम्नलिखित रूप से पंजीकृत किया जाता है।

क्र0 सं0	पशु	लिंग	टैग संख्या

मुख्य नगर अधिकारी / अधिशासी
अधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक और मुहर।

(प्ररूप "13")

अलामकर गायों की देख-रेख हेतु गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संस्था की स्थापना हेतु आवेदन-पत्र

1. संस्था का परिचय–

नाम

पता

पिन कोड

दूरभाष / एस0टी0डी0 कोड

फैक्स

ई–मेल

2. संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों के नाम एवं पते :

3. क्या संस्था भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त है?
यदि हाँ तो कोड संख्या :

4. क्या आपकी संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा ट्रस्ट अथवा विदेशी सहायता एक्ट के अधीन पंजीकृत है ?
यदि हाँ तो–

(क) कृपया पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(ख) पंजीकरण कार्यालय :

(ग) पंजीकरण संख्या :

(घ) पंजीकरण तिथि :

5. संस्था का स्थापना वर्ष / नियमावली की सत्यापित छायाप्रति / :

6. भूमि :

(क) कुल भूमि उपलब्धता :

(ख) क्या भूमि आपकी संस्था के नाम पंजीकृत है?
यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

(ग) क्या भूमि आपकी संस्था के नियंत्रणाधीन है?
यदि हाँ तो कृपया स्पष्ट करें कब से उक्त भूमि आपके नियंत्रणाधीन है।

(घ) किस प्रकार भूमि अर्जित की गयी? तद्नुसार अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करें :

- क्रय से अर्जित की गयी?
- दान से अर्जित की गयी?
- न्यूनतम 30 वर्ष के पट्टे से अर्जित की गयी?
- राजकीय भूमि?
- स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि?

(ङ) क्या आपकी भूमि में परिसर दीवार अथवा आयरन फैंसिंग करा ली गयी है?

(च) बड़े पशुओं के गौचर हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

(छ) छोटे पशुओं के भ्रमण हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

7. गत तीन वर्षों का आय-व्यय लेखा :

8. उपलब्ध पशु चिकित्सा/प्राथमिक चिकित्सा संसाधन :

(क) पशु चिकित्सक : हां/नहीं
यदि हां तो संख्या, उपलब्धता–पूर्ण कालिक/अंशकालिक/संविदा पर/निस्वार्थ सेवा

(ख) पैरा वैटनरी स्टॉफ : हां/नहीं
यदि हां तो संख्या, उपलब्धता–पूर्ण कालिक/अंशकालिक/संविदा पर/निस्वार्थ सेवा

(ग) औषधालय : हां/नहीं

(घ) लिफ्टिंग वैन/एम्बुलेंस की उपलब्धता : हां/नहीं

9. पशुओं हेतु चारा/भोजन का स्रोत एवं भण्डारण सुविधा–

पशुओं हेतु चारागाह की सुविधा –

सूखे चारे के स्रोत –

परिसर में उपलब्ध चारा वृक्षों की संख्या? औसत उत्पादकता?

परिसर में चारा घासों का रोपित क्षेत्रफल? औसत उत्पादकता?

चाराचरी की उपलब्धता – संख्या –

मूसा स्टोर कक्षों की व्यवस्था – संख्या एवं साइज –

अन्य चारे हेतु स्टोर कक्षों की व्यवस्था संख्या एवं साइज –

चैप कटर की उपलब्धता – संख्या –

10. अन्य संसाधन एवं अन्य सुविधायें–

बिजली –

बल्ब –

ट्यूब लाइट –

पंखे –

ट्यूबवैल/बोर वैल/मोटराइज्ड पम्प –

मोटराइज्ड चैपकटर –

पेय जल स्रोत –

(कुआं/बोर वैल/हैंड पम्प/प्राकृतिक स्रोत/नहर/नदी/पेय जल संयोजन)

पेय जल संग्रहण की सुविधा–

ओवर हैड टैंक – संख्या क्षमता –

स्टोरेज टैंक (सीमेन्ट) – संख्या क्षमता –

स्टोरेज टैंक (प्लास्टिक) – संख्या क्षमता –

पानी पीने की नांद – संख्या

नाली की व्यवस्था

मूत्र संग्रह की व्यवस्था

गोबर संग्रह की व्यवस्था

चारा पिट्स की व्यवस्था

स्वच्छता एवं सफाई की दशा :

भोजन पकाने/तैयार करने हेतु बर्तन आदि की सुविधायें :

11. कार्यालय अभिलेखों का विवरण–

कार्यालय पंजिकाओं के शीर्षक :

कार्यालय फाइलों के शीर्षक :

अन्य अभिलेख :

12. वर्तमान में आपकी संस्था की देख-रेख में कुल कितने पशु हैं?
(विवरण संलग्नक–1 के अनुसार)

13. क्या आपकी संस्था में गोबर गैस का सदुपयोग प्रारम्भ कर दिया गया है? :
यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

14. क्या आपकी संस्था ने क्या वर्मी कल्चर का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है?

15. क्या आपकी संस्था में गौमूत्र शोधन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

16. गत वर्षों में आपकी संस्था द्वारा बचाये गये पशुओं का विवरण :
(समाचार-पत्रों की पेपर कटिंग्स/फोटो ग्राफ्स/वी0सी0डी0 संलग्न कर प्रस्तुत करें)

17. संस्थान में पशुओं को रखने की क्षमता हेतु विवरण संलग्नक-1 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

18. संस्था में कर्मचारियों का विवरण संलग्नक-2 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

19. संस्था के अभिलेखों की छायाप्रतियाँ संलग्नक-3 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

मैं/हम ने अलाभकारी गायों की देख-रेख के लिये संस्था की स्थापना हेतु समस्त शर्तें एवं अनुमन्यतायें भलीभांति पढ़ ली हैं व मुझे/हमें सभी शर्तें स्वीकार्य हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

नोट–जहां कहीं लागू न हो विशेष कर नयी संस्थाओं के विषय में वहां कृपया लिखें "लागू नहीं"।

संलग्नक–1

शरणागत पशुओं का विवरण

क्रम सं0	पशुओं के प्रकार व नस्ल	वयस्क		बच्चे		योग
		नर	मादा	नर	मादा	
1.	गोवंशीय पशु (भारतीय नस्ल)					
2.	गोवंशीय पशु (विदेशी नस्ल)					
3.	अन्य पशु					
	कुल शरणागत पशु					
अतिरिक्त उपलब्ध क्षमता (वर्ग फुट)		..... वर्ग फुट (गो पशुओं हेतु) ..... वर्ग फुट (अन्य पशुओं हेतु)				

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

संलग्नक–2

उपलब्ध कार्मिकों का विवरण

भाग–1 (गत वर्ष .....)

1. संस्था का नाम :

2. संस्था का पता :

3. वर्ष

4. विवरण :

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम व पता	योग्यता	नियुक्ति की तिथि	अवधि	प्रतिमाह वेतन	गत वर्ष किया गया कुल वेतन भुगतान	टिप्पणी

भाग–2 (चालू वर्ष हेतु) :–

यदि गत वर्ष की तुलना में उसी वर्ष कोई परिवर्तन हुए हों तो उल्लिखित करें।

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

संलग्नक–3

गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अलाभकारी गायों की देख-रेख के लिये संस्था की स्थापना हेतु संस्था के अभिलेखों की सूची

1. निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन-पत्र
2. विस्तृत प्रस्ताव एवं अलाभकारी गायों की देख-रेख हेतु संस्था के निर्माण का औचित्य
3. सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति
4. संस्था का स्मृति-पत्र की सत्यापित छायाप्रति
5. संस्था की नियमावली की सत्यापित छायाप्रति
6. साईट प्लान/ब्लू प्रिन्ट जो कि स्थानीय निकाय के द्वारा स्वीकृत हों।
7. भूमि के अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति (भूमि की रजिस्ट्री अथवा पट्टे अथवा पंचनामा की सत्यापित छायाप्रति। भूमि कम से कम 30 वर्ष हेतु पट्टे पर ली गयी हो।)
8. संस्था के नाम पर भूमि के पंजीकरण के रजिस्टर अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति।
9. स्थानीय निकायों को प्राधिकृत अधिकारी स्तर से अलाभकारी गायों की देख-रेख हेतु, संस्था बनाये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (मूल प्रति)।
10. अलाभकारी गायों की देख-रेख हेतु, संस्था बनाये जाने हेतु धनराशि का मदवार आवंटन लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार किया जाए (मूल रूप में)।
11. संस्था की अधिशासी समिति तथा सामान्य कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची (नाम, पता, दूरभाष संख्या)।
12. संस्था के गत वर्ष के आय-व्यय लेखा का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित निम्न अभिलेखों की छायाप्रति :–
    1. आय-व्यय का लेखा (बैलेन्स शीट)
    2. व्यय लेखा (एक्सपेंडिचर एकाउन्ट)
    3. प्राप्ति भुगतान लेखा
    4. सम्परीक्षण प्रतिवेदन
13. आज तक पशु कल्याण हेतु किये गये कार्यों का विवरण तथा उन पर किये गये व्यय।
14. अलाभकारी गायों की देख-रेख हेतु संस्था को भली-भाँति चलाने तथा पशुओं के रख-रखाव हेतु वित्तीय संसाधन
15. क्या आज तक संस्था को भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से वित्तीय अनुदान प्राप्त हुआ है (यदि हाँ तो विवरण दें तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)।
16. वर्तमान समय में उपलब्ध भवनों की क्षमता।
17. क्या संस्था द्वारा स्थानीय निकाय में आवारा पशुओं को शरण दिये जाने के बाबत सहमति-पत्र हस्ताक्षरित किया गया है (यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)।
18. वर्तमान समय में आपकी संस्था में शरणागत पशुओं की संख्या के क्रम में संलग्नक–1
19. वर्तमान समय में आपके संस्था में कार्यरत कार्मिकों की संख्या के क्रम में संलग्नक–2

आज्ञा से,

अरूण कुमार ढौंडियाल,
प्रभारी सचिव।